

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स शम्भू नाथ चौधरी, प्रस्तावक-श्रीमति बिंदू चौधरी (पार्टनर), पता-705, लवकुश टॉवर एकजीबिशन रोड, पटना के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक-16 बालू घाट, मौजा-दाबिल, प्रखंड-गिद्धौर, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 14.07.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार गिद्धौर, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2339/2023, दिनांक 06.04.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा-"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "दैनिक जागरण", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 13.06.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक-16 बालू घाट, मौजा-दाबिल, प्रखंड-गिद्धौर, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्रीमति बिंदू चौधरी (पार्टनर) को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक-16 में 16.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 204402 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹766.285 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या-16 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

8/

8/

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

h


अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था
का भी उपयोग किया
में खनन


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रंजीत कुमार, ग्राम-दाबिल, जिला-जमुई के द्वारा निर्धारित मानक से अधिक गहराई तक खनन किये जाने तथा बालू लदे गाड़ियों के आवागमन से सड़क के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न उठाया गया।	बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों की परियोजना अवधि में प्रस्तावक द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। अधिक गहराई तक खनन की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा सकती है। जिसके आलोक में कारवाई की जायेगी। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर जुर्माना जब्ती की कारवाई की जाती है।
2.	श्री राहुल कुमार, ग्राम-दाबिल, जिला-जमुई के द्वारा पुछा गया कि खनन में नियम का पालन नहीं होने पर कहाँ शिकायत कर सकते हैं।	जिला पदाधिकारी एवं जिला खनिज विकास पदाधिकारी के समक्ष सूचना दी जा सकती है।
3.	श्री आकाश कुमार, ग्राम-चांगोडीह, जिला-जमुई के द्वारा नियमों के अनुसार खनन किये जाने का अनुरोध किया गया।	नियम के अनुसार खनन किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


14-7-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्वद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
जमुई।


अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था
के खनन
का भी उपयोग किया


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री रंजीत कुमार, ग्राम-दाबिल, जिला-जमुई के द्वारा निर्धारित मानक से अधिक गहराई तक खनन किये जाने तथा बालू लदे गाड़ियों के आवागमन से सड़क के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न उठाया गया।	बालू लदे गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों की परियोजना अवधि में प्रस्तावक द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है। अधिक गहराई तक खनन की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जा सकती है। जिसके आलोक में कारवाई की जायेगी। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर जुर्माना जब्ती की कारवाई की जाती है।
2.	श्री राहुल कुमार, ग्राम-दाबिल, जिला-जमुई के द्वारा पुछा गया कि खनन में नियम का पालन नहीं होने पर कहाँ शिकायत कर सकते हैं।	जिला पदाधिकारी एवं जिला खनिज विकास पदाधिकारी के समक्ष सूचना दी जा सकती है।
3.	श्री आकाश कुमार, ग्राम-चांगोडीह, जिला-जमुई के द्वारा नियमों के अनुसार खनन किये जाने का अनुरोध किया गया।	नियम के अनुसार खनन किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।












लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


14-7-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्वद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
जमुई।



उपस्थिति सूची

श्रीमति
मेसर्स शम्भु नाथ चौधरी, पार्टनर-~~श्री~~ बिंदू चौधरी, 705, लवकुश टॉवर एक्सहिबिशन रोड,
पटना-800001 द्वारा बरनार नदी ब्लॉक 16 बालू घाट, मौजा-दाबिल, ब्लॉक-गिद्धौर,
जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 14.07.2023 को
अपराहन् 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार गिद्धौर, जिला- जमुई में
आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ramesh Kumar Ramesh	Adon (P&R) Curon A P&RO Jammu	 14/7/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur B.S.P. CB	 14-7-2023
3.	श्रीमति	अ.वि. पदा. जमुई	 14/07/2023
4.	Nitish Kumar	P&M Solution, Env. Consultant, Patna.	 Nitish K.
5.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	 14/07/2023
6.	GHOURAV CHAUDHARY AUTHORISED SIGNATORY M/S SHAMBHUNATH	TOS, LUV KUSH TOWER EXHIBITION ROAD PATNA	 Gourav
7.	Kundan Kumar	दाबिल	 Kundan Kumar
8.	Rampriyesh Kumar	दाबिल	 Rampriyesh
9.	Shyamraj Kumar	दाबिल	 Shyamraj K.
10.	Chintu Kumar	दाबिल	 Chintu
11.	Sangeer SAH.	दाबिल	 Sangeer

12.	Niraj Kumar	दाविम	Niraj Kumar
13.	अमीर कुमर	दाविल	अमीर कुमर
14.	पुष्प कुमर	दाविल	पुष्प सिंह
15.	हरीश विवारी	दाविल	पुष्प
16.	शक्ति मिश्रा	दाविल	शक्ति
17.	इशिका ठाकुर	दाविल	इशिका ठाकुर
18.	सुनील मंडल	दाविल	सुनील
19.	Ritesh Kumar	दाविल	पुष्प
20.	पल्लु कुमर	दाविल	पुष्प
21.	पुंन साह	दाविल	पुष्प
22.	Daman Kumar	दाविल	पुष्प
23.	Rashmi Kumar	दाविल	पुष्प
24.	मनीष साह	दाविल	मनीष साह
25.	राजीव साह	दाविल	राजीव साह
26.	Raghunath. Kumar	दाविल	Raghunath. K

Niraj Kumar

	Niraj Kumar	Changodih	Niraj Kumar
28.	Souven Kumar	Changodih	Souven Kumar
29.	Akash Singh	Changodih	
30.	राहुल कुमार	चांगोडीह	राहुल कुमार
31.	RAJIV KUMAR	CHANGODIH	
32.	Bunkeem	Tari Dabli	Beem
33.	शाकिरुल क़ादर	दाविल	शाकिरुल क़ादर
34.	विजय कृ. शर्मा	दाविल	Vijay Kumar
35.	राजेश कुमार	दाविल	राजेश कुमार
36.	Jitendra Kumar Singh	Changodih	Jitendra Kumar Singh
37.	दिनेश कुमार	तरी दाविल	दिनेश कुमार
38.	Tripurari Singh	Tamui	Tripurari Singh
39.	सिद्धार्थ कुमार	दाविल	सिद्धार्थ कुमार
40.	अमरेश कुमार	तरी दाविल	Amul. Kumar
41.	उदय कुमार	तरी दाविल	उदय कुमार

42.	Niranjani Singh	Wadhwa	
43.	Sanku Singh	Dabel	Sanku Singh
44.	रंजीत सिंह	डिबेल	रंजीत सिंह
45.	Rajiv Kumar	Dabel	Rajiv Kumar
46.	अजय कुमार	नरी दाबिल	Anand Kumar
47.	RAJ KUMAR	Toni Dabel	Rajiv Kumar
48.	उमेश कुमार	नरी दाबिल	उमेश कुमार
49.	राम कुमार	दाबिल	राम कुमार
50.	विशेश कुमार	दाबिल	
51.	अंशु कुमार	नरी दाबिल	अंशु कुमार
52.	Rahul Kumar Yendhu	दाबिल	Rahul Kumar
53.	Harinandan Kumar	Dabel	Harinandan K.
54.	Kundan Kumar	Dabel	Kundan K.
55.			
56.			